

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

भागीरथसिंह बनाम भूमिधारी


किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मु0नं0 193 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/296

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

2025

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री होशियार सिंह बड़सरा उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी तलबी जजिने सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 28.05.2025 को पेश हो।


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/06/25 को पेश हो।

03/06/2025

वकील जर्गी उप0) उल्लेख में बहस वकील
जर्गी हुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया
गया एवं बहस वकील जर्गी पर सहोत्तर मनन
किया गया। -चूंकि सीमांतन दिनांकित 28/05/25
में श्रुति ख. नं० 27 के अन्तर् सीमा पर जर्गी
भागीरथ सिंह पत्र चतलसिंह का लब्धा होता गरी
पभा गया। ऐसी स्थिति में जर्गी का डा0फ्त
बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जर्गी शीघ्र
नही पाया जाता है। अतः जर्गी को बादगस्त
आपनी में लब्धा प्राप्त करने हेतु सदाम न्यायालय
में बंदखली का दावा उल्लेख करने की रिहापत्र
देते हुए डा0फ्त बाबत पत्थरगढी धारिज

किया जाता है। पत्रावली केवल शुभारंभ होने पर
हैं कम हों तथा बाद तकमील प्राप्ति पर
विधि से ईजलास सुनाया गया।